जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 25.10.2024

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत मौहल्ला काजीवाडा में दो पक्षों द्वारा एक दूसरे पर जान से मारने की नियत से एक राय होकर अवैध हथियार से फायरिंग व पथराव करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 25.10.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत मौहल्ला काजीवाडा में दो पक्षों द्वारा एक दूसरे पर जान से मारने की नियत से एक राय होकर अवैध हथियार से फायरिंग व पथराव करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है । गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है।

ज्ञात हो कि दिनांक 16.08.2024 को थाना कोतवाली शामली क्षेत्रान्तर्गत मौहल्ला काजीवाडा में दो पक्षो में घातक हथियार से हुई फायरिंग व ईट-पत्थर से मारपीट की घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। उपरोक्त घटना की गम्भीरता के दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक शामली के द्वारा थाना कोतवाली शामली पुलिस को सतर्क दृष्टि रखने एवं नामित अभियुक्तों की यथाशीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.सोनू पुत्र नफीस निवासी मौहल्ला काजीवाडा थाना कोतवाली शामली जनपद शामली

थाना कांधला पुलिस द्वारा महिला को खाने में बेहोशी की दवा मिलाकर दुष्कर्म करने व वीडियो बनाकर पैसों की मांग करने व मारपीट करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-

ज्ञात हो कि दिनांक 25.09.2024 को थाना कांधला क्षेत्रान्तर्गत पीड़िता से दुष्कर्म करने व वीडियो बनाकर पैंसो की मांग करने व मारपीट करने के सम्बन्ध में थाना कांधला पर तहरीर दाखिल की गई थी। पीडिता की दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना की गम्भीरता के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक कांधला को निर्देशित किया गया था। आज दिनांक 25.10.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कांधला पुलिस द्वारा महिला को खाने में बेहोशी की दवा मिलाकर दुष्कर्म करने व वीडियो बनाकर पैसों की मांग करने व मारपीट करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.शोएब पुत्र अय्युब निवासी ग्राम कनियान थाना कांधला जनपद शामली।

थाना कोतवाली शामली/कांधला/झिंझाना पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 04 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 25.10.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना कोतवाली शामली/कांधला/झिंझाना पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 04 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सम्बन्धित थानो पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1.संदीप पुत्र पवन निवासी ग्राम पांवटी कला कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली।
2.अशफाक उर्फ नन्हा पुत्र रसीद निवासी ग्राम जौला थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर।
3.गयूर पुत्र रसीद निवासी ग्राम जौला थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर।
4.नीरज कुमार पुत्र सत्यपाल सिंह निवासी ग्राम गोयना थाना शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर।

थाना गढ़ीपुख्ता पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 22 पव्वे देशी शराब बरामदः-

आज दिनांक 25.10.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/चोरी, लूट, डकैती, नकबजनी, स्नैचिंग व मादक पदार्थ में लिप्त अपरधियों की गिरफ्तारी से सम्बन्धित अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी थानाभवन के निकट पर्यवेक्षण में थाना गढ़ीपुख्ता पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को 22 पव्वे देशी शराब मिस रंगीली मार्का सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.शिब्बा पुत्र रज्जा निवासी मौहल्ला सुभाषपुरी कस्बा व थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्तः-

1.मु0अ0स0 247/19 धारा 63 आबकारी अधि0 थाना गढीपुख्ता शामली।

2.मु0अ0स0 113/20 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना गढीपुख्ता शामली।

3.मु0अ0स0 20/24 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना गढीपुख्ता शामली।

4.मु0अ0स0 125/24 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना गढीपुख्ता शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.देशी शराब 22 पव्वे मिस रंगीली मार्का।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई 07 वर्ष के कारावास की सजा एवं 35,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गयाः-

वर्ष 2011 में थाना झिंझाना पर अभियुक्त 1. महिपाल पुत्र जगदीश निवासी ग्राम मन्नूगढ़ थाना झिंझाना जनपद शामली के विरूद्ध मु0अ0सं0 427/2011 धारा 363/366/376 भादवि के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था । इसी क्रम में आज दिनांक 25.10.2024 को माननीय न्यायालय ADJ/FTC कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 366 भादवि में 05 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 10,000/- रुपये अर्थदण्ड, एवं धारा 376 भादवि में 07 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 25,000/-रुपये अर्थदण्ड की सजा का प्रावधान किया गया है।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 04 मामलों में 06 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा व 17,600/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गयाः-

1. वर्ष 2000 में अभियुक्तगण 1. मांगा पुत्र महरवान निवासी सिक्का थाना बडौत जनपद बागपत 2.मोशम पुत्र इब्राहिम निवासी सिक्का थाना बडौत जनपद बागपत के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 30/2000 धारा 379,411 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 25.10.2024 को माननीय न्यायालय CJM कैराना शामली द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व कुल 4000/- रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 01-01 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

2. वर्ष 2012 में अभियुक्तगण 1- इशरार पुत्र शमीम निवासी बलवा थाना कोतवाली शामली 2- शोकीन पुत्र नूरदीन निवासी पावली थाना शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर पर के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 मु0अ0सं0-606/2012 धारा 3/5ए/8 गौवध अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 25.10.2024 को माननीय न्यायालय CJM कैराना शामली द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व कुल 10,000/- रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 01-01 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

3. वर्ष 2009 में अभियुक्त मौमीन पुत्र हनीफ निवासी टपराना थाना झिंझाना के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 62/2009 धारा 3/5ए/8 गौवध अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 25.10.2024 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी/जेएम कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व कुल 2500/- रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

4. वर्ष 2009 में अभियुक्त नीरज पुत्र सतपाल निवासी गोयला थाना शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 890/2008 धारा - 279/337 भादवि0 व 181 एमवी एक्ट पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 25.10.2024 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी/जेएम कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त न्यायालय उठने तक की सजा व कुल 1100/- रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

नाम व पता अभियुक्तगण:-

1.मांगा पुत्र महरवान निवासी सिक्का थाना बडौत जनपद बागपत।

2.मोशम पुत्र इब्राहिम निवासी सिक्का थाना बडौत जनपद बागपत।

3.मौमीन पुत्र हनीफ निवासी ग्राम टपराना थाना झिंझाना जनपद शामली।

4.नीरज पुत्र सतपाल निवासी गोयला थाना शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर।

5.इशरार पुत्र शमीम निवासी बलवा थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

6.शोकीन पुत्र नूरदीन निवासी पावली थाना शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर।